मजदूर दिवस, एक मई के दिन रेलवे कुलियों (रेल सहायक) के सामने माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

आज 1 मई यानि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश में मजदूर आंदोलनों में अक्सर एक नारा लगाया जाता है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर-किसान। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान और ये पूरा संसार किसी ने बनाया है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मजदूरों की रही है।

दुनिया का कोई भी दौर रहा हो, अगर मैं कहूँ कि एक वर्ग-एक समूह हमेशा से रहा है तो वह है मजदूर। जब हम कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब भी वो मजदूर ही थे, जिन्होंने ये दुनिया बनाई।

साल 1886 में 1 मई के दिन अमेरिका में एक आंदोलन की शुरूआत हुई थी। उस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए थे। उस दौरान मजदूरों से दिन के 15-15 घंटे काम लिया जाता था। और ये काम उन्हें मजबूरी में करना पड़ता था।

मजदूरों ने मिलकर जब अपनी आवाज बुलंद की, तो उस आंदोलन के तीन साल बाद 1889 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक में तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। तभी से 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया जाता है।

मजदूर दिवस अपने अधिकारों के लिए उनके ऐतिहासिक संघर्षों की याद दिलाता है। यह विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की कड़ी मेहनत, समर्पण और बलिदान को स्वीकार करने का भी दिन है।

साल 1942 के पहले भारत में भी मजदूरों को 12 – 12 घंटे काम करना पड़ता था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और मजदूरों के लिए काम के घंटे 12 की जगह 8 घंटे सुनिश्चित करवाए।

भारत की संसद ने भी समय समय पर मजदूरों के हित के लिए श्रम कानून बनाए हैं, इनमें संशोधन किया है, ताकि हमारा देश भी तेज गति से आगे बढ़त रहे, और हमारे श्रमिकों को भी सुविधा हो। बंधुवा मजदूरी का उन्मूलन हो या बाल श्रम का उन्मूलन हो, या

श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार के लिए नीति निर्माण; समय समय पर भारत की संसद ने मजदूरों के लिए कानून बनाए हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई वर्षों से भारत का नया संसद भवन बन रहा है। और अब जल्द ही ये भवन बनकर तैयार होने वाला है। पूरे देश और दुनिया की नजर इस पर है। देश और दुनिया ने देखा है कि किस तरह दिन रात एक करके हमारे श्रमिकों ने इस भवन का निर्माण किया है। देश में लोकतंत्र के मंदिर से लेकर हर एक इमारत को बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह मजदूरों का है।

हमारे देश में हर शहर और कस्बे में, जहां भी रेलवे जंक्शन है, वहाँ यात्री सहायक या कहें कुली एक बहुत ही जिम्मेदार भूमिका होती है। आप परिश्रम के प्रतिमान/प्रतीक हो।

सुबह सूर्योदय से लेकर देर तक अपने अपने काम में जुटे रहते हो। देश-दुनिया के कोने-कोने से आने वाली सवारियां अपनी मंजिल पर पहुँचती है, तो उसमें आपकी बड़ी भूमिका है। आप उनके भारी सामान को अपने सिर, कंधे पर रखकर उन्हें उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हो।

यात्री सहायक/रेलवे कुली केवल सामान ही नहीं उठाते, बल्कि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को एक गाइड के रूप में अपनी सेवा भी प्रदान करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग रेलवे सहायक (कुलियों) से अपना सामान नहीं उठवाते हैं, आप उनकी भी मदद करते हो और जब कोई पूछता है कि फला ट्रेन किस प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी, फला कोच कौन सा है, तो उसकी जानकारी भी सवारियों को देते हो।

वर्तमान में लगभग 20 हजार से अधिक यात्री सहायक/ कुली भारतीय रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहे है।

रेलवे के विकास के लिए भारत सरकार ने अभी संसद में इस वर्ष 2.40 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट पास किया है।

इस समय भारतीय रेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है। रेलवे का विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एक के बाद एक वंदे भारत एक्सप्रेस से भारतीय रेल कि स्पीड बढ़ रही है। भारत की स्वदेशी कवच रक्षा प्रणाली से भारतीय रेल अधिक सुरक्षित हुई है।

इस तरह जितना रेलवे का विकास और विस्तार होगा, उतने ही अधिक यात्री रेलवे में सफर करेंगे। उतनी ही आप रेलवे सहायकों को सुविधा होगी और आपके लिए काम के अवसर बढ़ेंगे।

आज मजदूर दिवस पर देश भर में मजदूरों के अधिकारों के महत्व और उन अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। इसके लिए भारत की विधायिका पूरे समर्पण के साथ काम कर रही है। लोक सभा में जो सांसद चुनकर आते हैं, उन्हें आप लोग अपने वोट की क्षति से यहाँ भेजते हैं। जनता के हक-अधिकार और आपकी मांग उठाना जनप्रतिनिधियों का प्रथम कर्तव्य है। आप अपने जनप्रतिनिधि को अपनी मांग, अपने विषय और सुझावों की जानकारी समय-समय पर देते रहें। ताकि भारतीय रेलवे और श्रम व्यवस्था में निरंतर सुधार हो।

देश में जब भी श्रम कानून या रेलवे से संबंधित कोई बिल पास हो तो उसके संबंध में अपने सुझाव मंत्रालय को ज़रूर भेजें। ताकि आपकी बातों, आपके विषयों और चिंताओं को ध्यान में रखकर नीति निर्माण हो। यही लोकतंत्र है। इसे सफल बनाने के लिए देश के हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी - अपना कर्तव्य निभाना होगा।

मजदूर एकता ज़िन्दाबाद।